रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 18 जुलाई, 2003/27 आषाढ़, 1925

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 18 जुलाई, 2003

संख्या वि0 स0-लैज- गवरनमैंट बिल/1-74/2003.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक,

2003 (2003 का विधेयक संख्यांक 15) जो आज दिनांक 18 जुलाई, 2003 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

अजय भण्डारी,
सचिव।

2003 का विधेयक संख्यांक, 15.

हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2003

(विधान सभा में पुर:स्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (1976 का 23) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2003 है।

धारा 3 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 3 में खण्डों (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) जिला न्यायाधीश का न्यायालय ;

(ख) सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) का न्यायालय ; और

(ग) सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) का न्यायालय।"।

धारा 8, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22 और 28 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धाराओं 8, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22 और 28 में "अधीनस्थ न्यायाधीश" और "अधीनस्थ न्यायाधीशों" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं क्रमश: "सिविल न्यायाधीश" और "सिविल न्यायाधीशों" शब्द रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (1976 का 23) की धारा 3 न्यायालयों के निम्नलिखित वर्गों का उपबन्ध करती है :—

(1) जिला न्यायाधीश का न्यायालय ; और
(2) अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सी) संख्या 1989 का 1022 नामत: "अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (आल इण्डिया जजिज एसोसिएशन एण्ड अदर्ज वर्सिज यूनियन आफ इण्डिया एण्ड अदर्ज)" में अपने तारीख 21-03-2002 के निर्णय में भारत संघ सहित समस्त राज्यों को, न्यायिक अधिकारियों को संशोधित वेतनमान जारी करने और शैट्टी आयोग द्वारा की गई अन्य सिफारिशों को लागू करने के निर्देश दिए हैं। उक्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों में एक सिफारिश अधीनस्थ न्यायालयों में पुन: वर्गीकरण के बारे में है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 यथाचित रूप में संशोधित करने और हिमाचल प्रदेश में अधीनस्थ सिविल न्यायालयों की श्रेणियों को निम्नलिखित रूप से पुन:वर्गीकृत करने का निर्णय लिया गया है ; अर्थात्:—

(क) जिला न्यायाधीश का न्यायालय ;
(ख) सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीज़न) का न्यायालय ; और
(ग) सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीज़न) का न्यायालय।

इसलिए उपर्युक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :
तारीख ... .जुलाई, 2003.

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2003

हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (1976 का 23) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

जे० एल० गुप्ता,
सचिव (विधि) ।

शिमला :
तारीख ....जुलाई, 2003.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 15 of 2003.

THE HIMACHAL PRADESH COURTS (AMENDMENT) BILL, 2003

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 (*Act No.* 23 *of* 1976).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fourth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Courts (Amendment) Act, 2003.

Amendment of section 3.

2. In section 3 of the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 (hereinafter referred to as the 'principal Act'), for clauses (1) and (2), the following shall be substituted, namely:—

"(*a*) the Court of the District Judge ;

(*b*) the Court of Civil Judge (Senior Division) ; and

(*c*) the Court of Civil Judge (Junior Division).".

Amendment of sections 8, 11, 12, 13 14, 19, 21, 22 and 28.

3. In sections 8, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22 and 28 of the principal Act, for the words "Subordinate Judge" and "Subordinate Judges", wherever these occur, the words "Civil Judge" and "Civil Judges" shall respectively be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 3 of the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 (Act No. 23 of 1976) provides for the following classes of Courts:—

(1) the Court of District Judge; and

(2) the Court of Subordinate Judge.

The Hon'ble Supreme Court of India in its judgement dated 21-03-2002 in Writ Petition (C) No. 1022 of 1989 titled as "All India Judges Association and Ors. *vs.* Union of India and Ors." had given directions to the Union of India including all States to release revised pay scales to the Judicial officers and to implement other recommendations of the Shetty Commission. One of the recommendations made by the said Commission is with regard to re-classification of the Subordinate Courts. In order to implement the judgement of the Apex Court, it has been decided to amend suitably the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 and to re-classify the classes of Subordinate Civil Courts in Himachal Pradesh as under:—

(*a*) the Court of District Judge ;

(*b*) the Court of Civil Judge (Senior Division) ; and

(*c*) the Court of Civil Judge (Junior Division).

This has necessitated amendments in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA :

The ......July, 2003.

FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

THE HIMACHAL PRADESH COURTS (AMENDMENT) BILL, 2003

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 (*Act No.* 23 *of* 1976).

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

J. L. GUPTA,
Secretary (Law).

SHIMLA-171002.

The ....July, 2003.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित